

✓ (6)

संयुक्त निदेशक, चिकि. स्वा० एवं प०क० सेवाएँ,  
समस्त जोन  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।

क्रमांक- 27 (1) RCH-2/SBA/2006/ 4173

दिनांक 22.9.9

संयुक्त निदेशक, चिकि. स्वा० एवं प०क० सेवाएँ,  
समस्त जोन  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त जिले।


विषय:- आयुष चिकित्सकों/आयुष कम्पाउण्डर्स का एसबीए प्रशिक्षण कराने के काम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एनआरएचएम के अन्तर्गत जिलों में कार्यरत आयुष चिकित्सकों तथा आयुष कम्पाउण्डर्स को एसबीए प्रशिक्षण दिया जाना है। उक्त प्रशिक्षण जिले में कराये जा रहे एसबीए प्रशिक्षण के साथ दिया जाना है।

आयुष चिकित्सकों/पेरामेडिकल स्टाफ को एसबीए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक F12 (14) NRHM/Ayush/2009/3343 दिनांक 04.07.09 द्वारा जारी की जा चुकी है।

उक्त प्रशिक्षण में चिकित्सकों का मानदेय भी 150/- रु. प्रतिदिन ही देय होगा तथा अन्य व्यय पूर्व में प्रदाता दिशा निर्देशानुसार किया जाना है।

जिले में आयुष चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर्स की संख्या Anex. A के अनुसार है।

  
निदेशक (आर.सी.एच.)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, श्री नरेश दयाल, सचिव स्वा० एवं प०क० मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकि० एवं स्वा० विभाग राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम
5. निदेशक, राज्य स्वा० एवं प०क० संस्थान, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच एवं राज्य प्रशिक्षण संयोजक
7. संयुक्त निदेशक आरसीएच एवं समस्त जोन
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम
9. डा० अनिल अग्रवाल स्वास्थ्य अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर.
10. उपनिदेशक, आयुष एनआरएचएम
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त जिले .....
12. जोनल एसबीए मोनीटर/जिला एसबीए पर्यवेक्षक, समस्त जोन/जिले को लेख है कि आगामी एसबीए प्रशिक्षण बैठकों में आयुष चिकित्सक/कम्पाउण्डर्स को सम्मिलित करें।
13. प्रभारी सर्वर रूम, एन.आर.एच.एम. कमरा न० 302
14. रक्षित पत्रावली